भारत सरकार/ Government of India
अंतरिक्ष विभाग/ Department of Space
अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/ Space Applications Centre
अहमदाबाद/ Ahmedabad

सं.अंउकें/राभाकास/7.7/2014 जून 06, 2014

**पृष्ठांकन / Endorsement**

विषयः- विक्रम साराभाई हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना-के बारे में।
Sub: Vikram Sarabhai Hindi Maulik Pustak Lekhan Award Scheme-reg.

अंतरिक्ष विभाग / इसरो में हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने हेतु "विक्रम साराभाई हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" नामक योजना प्रारंभ की गई है। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए श्री शांतनु भाटवड़ेकर, अध्यक्ष, मौलिक लेखन समिति/ सह निदेशक, ईओएस, अंतरिक्ष विभाग, बेंगलूर का दिनांक 04 जून 2014 का पत्र सं. 8/3/6/2013-हिं (मौ.ले.) संलग्न है।

साथ ही, वर्ष 2015 के दौरान राजभाषा विभाग में पुरस्कार के लिए विचार किए जाने हेतु आपकी प्रविष्टि भेजने के लिए पुस्तक की पांडुलिपि 31 अगस्त 2014 तक अंतरिक्ष विभाग को भेज दी जाए ताकि समिति द्वारा उसकी समीक्षा कर इसी वर्ष दिसंबर तक प्रकाशित की जा सके। (मात्र वर्ष 2014 के लिए लागू।)

(बी.आर.राजपूत B.R.Rajput)
वरि.हिंदी अधिकारी Sr.Hindi Officer

सेवा में To,
सभी अधिकारी/ कर्मचारी, सैक/ डेकू
All Employees, SAC/ DECU

सूचनार्थ प्रति Cfi;
निदेशक, सैक/ डेकू Director, SAC/DECU
नियंत्रक, सैक Controller, SAC

**सं.8/3/6/2013-हि.(मौ.ले.)**

**भारत सरकार**
**अन्तरिक्ष विभाग**

**अंतरिक्ष भवन**
**न्यू बी.ई.एल.रोड**
**बेंगलूर-560231**

**जून 04, 2014**

**विषय/Sub: हिन्दी में मौलिक लेखन – पुस्तक-लेखन को बढ़ावा देने के बारे में।**
**Motivating Original Book writing in Hindi – Reg., .**

*******

भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों का कर्तव्य है । अंतरिक्ष विभाग एवं इसके केन्द्रों/यूनिटों में इसका अनुपालन बखूबी हो रहा है । सरकार का हिन्दी में वैज्ञानिक विषयों में लेखन कार्य को बढ़ावा देने का प्रयास है ताकि हिन्दी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके । इस दिशा में सरकार की कई पुरस्कार योजनाएँ चल रही हैं । हाल ही में, 13 फरवरी, 2014 को विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सदस्यों द्वारा सलाह दी गई कि विभागीय स्तर पर भी हिन्दी भाषा में वैज्ञानिक/तकनीकी लेखन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

इस संबंध में विभाग में भी पहले से विचार किया जा रहा था और दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 को, अन्तरिक्ष विभाग/इसरो एवं इसके केन्द्रों/यूनिटों के वैज्ञानिकों को अधिक-से-अधिक संख्या में हिन्दी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने, उनके लेखन कार्य को पुरस्कृत करने पर विचार करने, पुरस्कार हेतु राजभाषा विभाग भेजे जाने और उनके द्वारा लिखी पुस्तकों का प्रकाशन कार्य विभाग द्वारा करवाये जाने पर विचार करने, आदि के उद्देश्य से संयुक्त सचिव, अंतरिक्ष विभाग के अनुमोदन से **श्री शांतनु भाटवडेकर, सह-निदेशक, भू प्रेक्षण,** की अध्यक्षता में, एक समिति गठित की गई है प्रति संलग्न।

उक्त समिति ने उपरोक्त मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करते हुए दो बैठकें आयोजित कीं, आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों से भी परामर्श किया और मौलिक पुस्तक लेखन के संबंध में मानदण्ड तय किए, जिनपर विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया है । यह अनुबंध में संलग्न हैं । इस पुस्तक-लेखन पुरस्कार योजना को *"विक्रम साराभाई हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन योजना"* नाम भी दिया गया है ।

अनुरोध किया जाता है कि अपने-अपने केन्द्र/यूनिट में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें और वैज्ञानिकों को हिन्दी में मूल रूप में पुस्तक लेखन के लिए प्रेरित करें । लेखकों को इस संबंध में मानदण्डों से अवगत कराया जाए। इस योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराने हेतु समिति के सदस्य विशेष रूप से रुची लें ।

इस संबंध में सभी का सहयोग वांछनीय है ।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

4.6.14

(शांतनु भाटवडेकर)
अध्यक्ष, मौलिक लेखन समिति
एवं सह-निदेशक, ई.ओ.एस.

अनुलग्नक: यथोपरि
सेवा में : संलग्न सूची के अनुसार

**अनुबंध**

अन्तरिक्ष विभाग/इसरो में हिन्दी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई "विक्रम साराभाई हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" के तहत निर्धारित मानदण्ड एवं दिशा-निर्देश/**Norms and guidelines prescribed under the "Vikram Sarabhai Hindi Maulik Pustak Lekhan Award Scheme" for encouraging originally writing in Hindi**

1) पुस्तक अन्तरिक्ष विज्ञान से संबंधित विषयों एवं गतिविधियों पर लिखी जाए और साथ ही, नवीनतम विषयों पर क्योंकि अन्तरिक्ष की संकल्पनाएँ द्रुत गति से बदलती रहती हैं।/The book should be written on subject related with Space Science and activities of the Department and on the latest subjects as the concepts of Space are fast changing.

2) पुस्तक मूलत: हिन्दी में लिखी जाए ना कि अनुवाद हो। यदि लेखक स्वत: किसी से अनुवाद करवाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। यदि, लेखक चाहे तो उन्हें सह लेखक के रूप में दर्शाया जा सकता है/ The book must be written originally in Hindi and it should not be a translation. If the author gets it translated, it is his responsibility. If author desires the translator may be mentioned as co-author.

3) लेखकों द्वारा संदर्भ/आभार दिया जाना चाहिए।/ The Reference/ acknowledgement should be given by the author.

4) आमुख तथा पुस्तक हेतु आवरण पृष्ठ का डिजाइन लेखक द्वारा ही दिया जाए।/ The Foreword and the cover-page design has to be provided by the author.

5) पुस्तकें तीन श्रेणियों में लिखी जा सकती हैं जिसे लेखक द्वारा स्पष्ट किया जाए/ The books can be written in three categories which may be specified by the author – (i) बाल साहित्य, स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए/Child literature keeping in view the School children, (ii) कॉलेज के छात्रों के लिए/for College students और, (iii) आम जनता के लिए/for general public at large.

6) पुस्तक अत्यन्त सरल भाषा में लिखी गई होनी चाहिए और भाषा-प्रवाह बहुत ही सहज होना चाहिए। साथ ही, जहॉ कहीं आवश्यक हो, अंग्रेजी के पर्याय कोष्ठक में दिए जा सकते हैं।/The book should be written in very simple Hindi and the flow of the language should be good. Also, the English equivalents can be given in bracket wherever necessary.

7) इंदिरा गॉधी राजभाषा पुरस्कार एवं राजीव गॉधी ज्ञान-विज्ञान पुरस्कार हेतु विभाग को भेजी जाने वाली पुस्तकों में कम-से-कम 100 पृष्ठ होने चाहिए अन्य के मामले में पृष्ठों की संख्या कम-से-कम 50 होनी चाहिए/The book to be sent for Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar and under Rajiv Gandhi Gyan-vigyan Puraskar from the Department for consideration for award should have minimum of 100 pages and in other matter it should not be less than 50 pages.

--2/-

8) प्रत्येक केन्द्र/यूनिट में एक संपादकीय समिति गठित की जाए और इस समिति द्वारा उक्त केन्द्र/यूनिट के लेखकों द्वारा रचित पुस्तक की समीक्षा की जानी चाहिए और अनुमोदन के पश्चात् ही, केन्द्र/यूनिट के निदेशक/उप निदेशक की अनुमति से संबंधित हिन्दी अनुभाग द्वारा उसे विभागीय स्तर पर गठित समिति को भेजा जाना चाहिए/Every Centre/Unit has to constitute an editorial Committee at their level and the book authored has to be reviewed by the said Committee at centre level and only after the approval, the book should be sent to the 'Committee constituted at Departmental level' with the approval of the Centre/Unit Director/Deputy Director routed through respective Hindi Cells.

9) प्राप्त प्रविष्टियों में से समिति द्वारा इंदिरा गॉधी राजभाषा पुरस्कार एवं राजीव गॉधी ज्ञान-विज्ञान पुरस्कार के तहत विचार किए जाने के लिए प्रत्येक के लिए श्रेष्ठ तीन-तीन पुस्तकें चयन कर राजभाषा विभाग को भेजी जाएँगी।/The best books, three for each category of Award, from among the entries will be selected by the Committee to be sent to DOL for consideration for award under Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar and under Rajiv Gandhi Gyan-vigyan Puraskar.

10) राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार समारोह के पश्चात्, पुस्तकों को विभाग की पुरस्कार योजना के तहत, हिन्दी भाषी/हिन्दीतर भाषी लेखकों को अलग-अलग पुरस्कृत करने हेतु उनका चयन किया जाएगा । प्रत्येक ₹.25,000/- के दो प्रथम पुरस्कार, प्रत्येक ₹.20,000/- के दो द्वितीय पुरस्कार, प्रत्येक ₹..15,000/- के दो तृतीय पुरस्कार एवं प्रत्येक ₹.10,000/- के छः सान्त्वना पुरस्कार प्रदान किया जाएँगे। यह पुरस्कार राशि इस आधार पर तय की गई है कि यह इंदिरा गॉधी राजभाषा पुरस्कारों से अधिक न हो जाए।/After the national level award function, the books will be selected to be awarded under the Award Scheme of the Department, separately for Hindi/non-Hindi speaking authors. Thus, two first prizes of ₹ 25, 000/- each, two 2nd prizes of ₹20,000/- each, two 3rd prizes of ₹15,000/- each and six consolation prizes of ₹10,000/- each. This prize amount has been decided based on, that, it does not surpass the prize amount awarded under Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar Scheme.

11) किसी योजना के तहत पुरस्कृत पुस्तक का, अन्य योजना के तहत पुरस्कृत करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।/The book already awarded under any scheme will not be considered for award under another scheme.

12) विभाग में प्राप्त ऐसी सभी पुस्तकों के लेखकों को मानदेय दिया जाएगा, जिन्हें कोई पुरस्कार न मिला हो। मानदेय की राशि ₹7,500/- होगी/All such books received in the Department will be rewarded honorarium which have not got any award. The amount of honorarium will be ₹7,500/-.

13) रेखाचित्र और चित्र भी आवश्यकतानुसार शामिल किए जा सकते हैं।/The diagrams and pictures may also be included as per need.

14) * पाण्डुलिपि/टंकित सामग्री विभागीय समिति को प्रति वर्ष 31 मार्च तक भेज दी जानी चाहिए ताकि समिति द्वारा उनकी समीक्षा की जा सके और चुनी गई पुस्तकों को मुद्रित करवाया जा सके और समय पर राजभाषा विभाग को भेजा जा सके।/The manuscript/ typed content authored has to be sent to the Departmental Committee by 31st of March every year so that it can be reviewed by the Committee and the selected books got printed and can be sent to DOL in time.

* [ **<u>नोट:</u> पुरस्कार हेतु विचार किए जाने के लिए पुस्तक राजभाषा विभाग को प्रति वर्ष मई-जून में भेजी जानी होती है और और वह पिछले वर्ष में प्रकाशित हुई हो, उदाहरण के लिए, वर्ष जनवरी-दिसंबर 2013 के दौरान मुद्रित पुस्तक को सितम्बर 2014 में पुरस्कृत करने पर विचार किया जाएगा जो राजभाषा विभाग को मई-जून 2014 में भेजी जानी चाहिए । अत:, अब, यदि पुस्तक वर्ष 2014 में छपती है तो उस पर वर्ष 2015 सितंबर में पुरस्कृत करने पर विचार किया जाएगा, जिसे मई-जून 2015 में राजभाषा विभाग को विचारार्थ भेजना होगा।/A book to be considered for award has to be sent to DOL during May-June every year and it should have been printed during the last year, for example, if a book is printed during Jan-Dec 2013, it will be considered for award during 2014 Sept. which has to reach DOL in May-June 2014. Therefore, now, if the book is written & got printed during 2014 it will be considered for award during 2015 September**.]

**विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा लिखी पुस्तकों का मुद्रण/Printing of the books authored by the scientists of the Department:**

15) पुस्तकों का मुद्रण किसी नामचीन प्रकाशक द्वारा करवाया जाएगा जिससे उनका व्यापक प्रचार हो सके।/The books will be got printed by any reputed publisher so that they get wider publicity.

16) यदि पुस्तक राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित/मुद्रित की जाती है तो वह पूरी जिम्मेदारी लेगा, आई.एस.बी.एन. संख्या को प्राप्त करने से लेकर पूरे देश में पुस्तकों की प्रदर्शनियों में प्रदर्शन करने तक। **राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट** द्वारा प्रकाशन की स्थिति में बच्चों के लिए नेहरू बाल पुस्तकालय श्रेणी की पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की दर 10% होगी और यदि चित्र/कार्टून ट्रस्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं तो 6% रॉयल्टी प्रदान की जाएगी। लोकप्रिय विज्ञान श्रृंखला की श्रेणी में ट्रस्ट 15% रॉयल्टी प्रदान करेगा।/If a book is published/printed by NBT, it will take the full responsibility starting from obtaining ISBN No. to exhibiting the books in the exhibitions throughout the country. In the case of a book being published by NBT, the rate of royalty will be 10% for the books meant for children under Nehru Children Library series and if NBT is required to get the pictures/cartoons prepared, the royalty would be paid at the rate of 6%. Under the Popular Science Series category Trust will provide royalty of 15%.

--4/-

17) अन्य प्रकाशकों से यदि पुस्तक प्रकाशित करवाई जाएगी तो प्रकाशक प्रकाशन से संबंधित व्यय का आधा हिस्सा लेखक/विभाग से लेंगे और पुस्तकें प्रकाशित होने पर यदि बिक्री अधिक होती है तो वह राशि वापस कर दी जाएगी, अन्यथा नहीं। रॉयल्टी की दर 10 % होगी और यह तभी प्रदान की जाएगी जब पुस्तकों की एक खेप की बिक्री हो जाए अथवा विभाग पुस्तक की 200-300 प्रतियां खरीद ले।/If the book is got printed by other publishers then half of the cost of publication will be charged on the author/Department and if the books get sold in large nos., only then the seed money will be returned, not otherwise. And, the royalty will be paid @10 % only if the first lot of books are sold or the Department purchases 200-300 no. of copies.

**विभाग की योजना का सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर प्रभाव/Impact of the Scheme of the Department on the retired employees:**

18) जहाँ तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रश्न है, विभाग की यह योजना उन पर भी वहीं तक लागू होगी, जहाँ तक इन्दिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार एवं राजीव गाँधी ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार हेतु विचार किए जाने के लिए पुस्तकें राजभाषा विभाग को भेजी जानी हैं ताकि हिन्दी साहित्य में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर अच्छा साहित्य प्राप्त हो सके। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विभाग द्वारा पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, ना ही उन्हें कोई मानदेय दिया जाएगा।/As far as the retired employees are concerned, the scheme of the Department will be applicable to them as far as forwarding their book to Department of Official Language to be considered for Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar and Rajiv Gandhi Gyan Vigyan Maulik Pustak Lekhan Puraskar in order to get good literature in Scientific & Technical subject in Hindi. The retired employees will not be considered for prize under the scheme of the Department neither will they be paid any honorarium.

19) वार्षिक रूप से श्रेष्ठतम लेखों का लेख-संग्रह प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया गया है और प्रति वर्ष विभिन्न केन्द्रों/यूनिटों से प्राप्त लेखों में से श्रेष्ठ लेखों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। सभी केन्द्रों/यूनिटों द्वारा श्रेष्ठ <u>दो लेखों</u> का चयन कर विभाग को भेजे जाएँ। इनमें अन्तरिक्ष विभाग के केन्द्रों/यूनिटों में तकनीकी संगोष्ठियों के दौरान प्रस्तुत लेख भी हो सकते हैं परन्तु, वे बाहर किसी भी पत्रिका में प्रकाशित नहीं किए गए हों। इस आशय की घोषणा लेखक द्वारा प्रदान की जानी होगी।/It is also decided to publish a collection of the Best articles annually in form of a compendium, The articles will be invited from various centres every year restricting to two articles per Centre/Unit. The articles may be sent by all Centres/Units after selecting the best <u>two</u> at their end. These can be the ones presented in Technical Seminars organized at centre/Units of the Department but not published in any magazine outside. The declaration to that effect has to be furnished by the author.

20) उक्त लेख-संग्रह को "अन्तरिक्ष ज्ञान सरिता" शीर्षक के नाम से प्रकाशित करवाया जाएगा।/This compendium will be printed by the title "अन्तरिक्ष ज्ञान सरिता".

--5/-

21) मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार समिति की बैठकें विभिन्न केन्द्रों/यूनिटों में बारी-बारी से की जाएंगी। ऐसी बैठकों के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा पावर-प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से संबंधित केन्द्रों/यूनिटों के वैज्ञानिकों को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु प्रेरित किया जाएगा/The meetings of this committee may be held in different Centres/Units by turn. The scientists of the concerned Centres/Units will be motivated to write books originally in Hindi through Power-Point Presentations the members of the Committee during such meetings.

22) उपरोक्त सभी के संबंध में कार्रवाई संबंधित केन्द्र/यूनिट के हिंदी अनुभाग पर होगी/ The responsibility of all the above will lie with the Hindi Cell of respective Centres/Units.

**केवल इस वर्ष (2014) के लिए लागू/Applicable only For this year(2014):**

वर्ष 2015 के दौरान राजभाषा विभाग में पुरस्कार के लिए विचार किए जाने हेतु भेजने के लिए पुस्तक की पांडुलिपि **31 अगस्त 2014 तक** अन्तरिक्ष विभाग को भेज दी जाए ताकि समिति द्वारा उसकी समीक्षा कर इसी वर्ष दिसंबर तक प्रकाशित करवाई जा सके/The manuscript of the book to be considered for award by Department of Official Language during 2015 may be sent to DOS latest by **31st August 2014** so that it can be got published by December 2014 after the review by the Committee.

*******